प्रेस नोट **दिनांक 03.01.2025**

दुष्कर्म मामले में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस द्वारा दिनांक 02.01.2025 को देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर, मु0अ0सं0 0004/26 धारा 64(1) व 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **रणधीर सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह निवासी बखरिया थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 29 वर्ष** उपरोक्त को सुग्गीचौरी स्थित कुटी के पास पुल से समय करीब 09.35 बजे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम पता:– रणधीर सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह निवासी बखरिया थाना मधुबन जनपद मऊ

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम:–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव सिंह
2. हे0का0 लाल साहब
3. का0 श्याम पूजन तिवारी

मिशन शक्ति अभियान 5.0' के अंतर्गत आती जाती लड़कियो व महिलाओ पर छींटाकशी व अश्लील गाना गाता हुआ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा शासन द्वारा चलाए जा रहे 'मिशन शक्ति' 5.0 (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन) अभियान के, क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री किस राजपूत के कुशल निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष बसंतलाल थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.01.2026 को उ0नि0 महेश कुमार सिहं व म0उ0नि0 निशा त्रिपाठी मय हमराह मिशन शक्ति टीम के मुखबीर खास की सूचना के आधार पर बीबी इन्टर कालेज सुल्तानपुर बनौरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में आती जाती लड़कियो व महिलाओ पर छींटाकशी, अश्लील इशारे व गाना गाते हुए 01 नफर अभियुक्त बबलू उर्फ विनोद पुत्र पांचू नि0 बनौर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र 40 वर्ष को समय करीब 14.35 बजे

गिरफ्तार किया गया उक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. बबलू उर्फ विनोद पुत्र पांचू निवर्ष 40 बनौर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र 0

पंजीकृत अभियोग-

1. मु.सं.अ. 0002/2026 धारा 296(B) BNS थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ,महेश कुमार सिहं 0नि0
2. मथाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ,निशा त्रिपाठी 0नि0उ0
3. हे थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ,सुधीर कुमार 0का0
4. म 0का0आरतीथाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ,
5. म ,ज्योति कुमारी 0का0थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

बुक राइटिंग के नाम पर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी धनराशि 11942/- (इग्यारह हजार नौ सौ बयालिस) रुपये थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये बुक राइटिंग के नाम पर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी धनराशि 11942/- (इग्यारह हजार नौ सौ बयालिस) रुपये पीडिता शाहेबा हयात पुत्री इरशाद अहमद निवासी 33 मोमिनपुरा मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ की कुल 11942 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना दक्षिण टोला के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. थाना अध्यक्ष बसन्त लाल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

2. क0आ0 नवनीत पाण्डेय थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
3. म0का0 स्वाती चौबे थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
4. म0का0 प्रीती सिंह थाना दक्षिण टोली जनपद मऊ।

इलाज के नाम पर डरा धमकाकर 15000 रुपये लेने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 15000/- रुपये बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा सदर अस्पताल मऊ में इलाज के नाम पर डरा धमका कर 15000 रूपया ले लेने की कारित हुयी घटना में सम्मिलित अभियुक्त सूर्यभान यादव पुत्र स्व0 रामलाल यादव निवासी कसौडर थाना भीमपुरा जनपद बलिया सम्बन्धित मु0अ0सं0 004/2026 धारा 308(5)/317(2) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 15000 रूपया बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.01.2026 को सदर अस्पताल मऊ में वादी मुकदमा के भाई के इलाज के नाम पर डरा धमका कर 15000 रूपया ले लिया गया था जिसके सम्बन्ध मे वादी अजय राजभर पुत्र विमल राजभर निवासी निगहुवा, भीमपुरा जनपद बलिया के लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 02.01.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 004/2026 धारा 308(5) बीएनएस बनाम 1. गुड्डू राजभर पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात, 2. सूर्यभान यादव पुत्र रामलाल यादव निवासी कसौडर भीमपुरा जनपद बलिया पंजीकृत किया गया था। घटना के सम्बन्ध मे गहनता से छानबीन व साक्ष्य संकलन एकत्र करने के आधार पर दिनांक 03.01.2026 को उ०नि० जनमेजय शर्मा मय हमराह का० रवि प्रजापति के द्वारा 01 नफर अभियुक्त सूर्यभान यादव पुत्र स्व० रामलाल यादव निवासी कसौडर थाना भीमपुरा जनपद बलिवा हाल पता मोहल्ला मुसरदा मोड़ भीटी थाना कोतवाली जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 308(5)/317(2) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 15000 रूपया बरामद किया गया। गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्त –

1. सूर्यभान यादव पुत्र स्व० रामलाल यादव निवासी कसौडर थाना भीमपुरा जनपद बलिया हाल पत्ता मोहल्ला मुसरवा मोड़ भीटी थाना कोतवाली जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

1. 15000 रूपया अभियुक्त सूर्यभान से बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० जनमेजय शर्मा
2. का0 रवि प्रजापति

दो पशु तस्कर गिरफ्तार कब्जे से क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 03 राशि भैंस व घटना मे प्रयुक्त मैजिक वाहन बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 03.01.2026 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अनिल कुमार सिंह व थाना पुलिस टीम द्वारा मुहल्ला मलिकताहिरपुरा बंधा रोड पर अवैध वाहन/संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग किया जा रहा था कि मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति मैजिक छोटा हाथी से तीन छोटी/ बड़ी भैसों को बुरी तरह से नायलान के रस्सी से बंधा कर लादकर मैजिक मेगा वाहन में बंधा रोड की तरफ लेकर आ रहा है इस सूचना पर हनुमान घाट बंधा रोड की तरफ से आ रहे मैजिक वाहन नम्बर UP50CT4792 को घेरखार कर रोका गया तथा चालक को गाड़ी से नीचे ऊतारकर उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम साहिल पुत्र एखलाख अहमद निवासी फकरूद्दीनपुर (सठियांव) थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 23 वर्ष व बगल में बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम इम्तेयाज पुत्र इश्तेयाक अहमद निवासी पठानटोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 42 वर्ष बताया । वाहन को चैक किया गया तो छोटी व बड़ी तीन भैंस जो बुरी तरह से नायलान की रस्सीयों से मुह गर्दन व पैरों को मोड़कर एक दूसरे पर चढ़ाकर कम जगह में बांध कर क्रूरता पूर्ण तरिके से लादा गया है। अभि0गण को फर्द बरामदगी के आधार पर समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तारी पुलिस लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण -

1. एक टाटा मैजिक वाहन सं 0UP50CT4792

2. बड़ी भैंस रंग काली उंचाई लगभग मुठ 11
3. बड़ी भैंस रंग काली उंचाई लगभग मुठ 10
4. छोटी भैंस रंग काली उंचाई लगभग 09

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. साहिल पुत्र एखलाख अहमद निवासी फकरूद्दीनपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ (सठियांव) वर्ष 23 उम्र
2. इम्तेयाज पुत्र इश्तेयाक अहमद निवासी पठानटोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब वर्ष 42

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 003/2025 धारा 11(1) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना कोतवाली 1960 जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 141/2025 धारा 115(2), 3(5), 351(2), 352 BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 326/202 0धारा3 (1) यूगैंगस्टर एक्ट 0पी0 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 205/20 20धारा188 , 269, 270 भादविथाना कोतवाली जनपद मऊ 0
5. मु0अ0सं0 158/20 20धारा188 , 269, 270 भादविथाना कोतवाली जनपद मऊ 0
6. मु0अ0सं0 275/20 19धारा 323, 504, 506 भादविथाना कोतवाली जनपद मऊ 0
7. मु0अ0सं0 317/20 19धारा 53-A, 420, 429 भादवि5 व 0/8 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
8. मु0अ0सं0 ए542/ 2011धारा323 , 504, ,506452 भादवि 0थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उ0नि0श्री संजय तिवारी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. का 0अर्जुन कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. का 0शैलेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का 0विवेक यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व ₹ 50,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 03-01-2026 को मु0अ0सं0 237/2023 धारा 409 भादवि थाना कोतवाली नगर मे दोषसिद्ध अभियुक्त जितेंद्र कुमार पांडे पुत्र स्व. कृष्ण नाथ पांडे निवासी अथदेउरा परसा थाना रुधौली जनपद बस्ती (सहायक भंडारी विद्युत भंडार केंद्र मऊ) जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹ 50,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार का सराहनीय योगदान रहा।